



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14604

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45331/2025

त्रिवेणी प्रसाद

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: बुद्धि प्रकाश

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना।
2. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के अंतर्गत याची द्वारा दायर वाद संख्या 10564/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202515060410564) (त्रिवेणी प्रसाद बनाम घनश्याम एवं अन्य) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।
3. हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 38375/2023 (मोहम्मद फैयाज खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य)' में दिनांक 27.09.2023 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक स्थिति असाधारण न हो, न्यायालय को किसी भी न्यायालय को किसी लंबित मामले को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। दिनांक 27.09.2023 के आदेश को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। जब तक स्थिति असाधारण न हो, इस न्यायालय को किसी भी संवैधानिक न्यायालय या उस मामले में किसी भी न्यायालय को, किसी लंबित मामले को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस न्यायालय में आने का सामर्थ्य रखते हैं उन्हें प्राथमिकता मिले और अन्य कतार में प्रतीक्षा करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका विलंब के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती है। यह याची पर निर्भर है कि वह मामले की त्वरित सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करे। लंबित आवेदन भी निस्तारित किए जाते हैं।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है और न ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि निचली अदालत को उपरोक्त मामले को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि मामला वर्ष 2025 से लंबित है।
5. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।
6. हालांकि, निचली अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार सख्ती से उपरोक्त वाद को तय करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"